न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 18 / 2022

अपीलार्थी :–

सुआ कंवर पत्नी जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी सफेड छोटी तहसील मकराना

प्रत्यार्थी :–

1. तहसीलदार मकराना (लैण्ड होल्डर) मकराना
2. ग्राम पंचायत सफेडबडी

वकील अपीलार्थी – श्री कल्याण सिंह उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 एंव 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

निर्णय

अपील अपीलार्थी संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट सुआ कंवर पत्नी जगदीशसिंह राजपूत निवासी सफेड छोटी की ओर से निवेदन किया गया कि अपीलान्ट का नाम सुआकंवर है पति का नाम जगदीशसिंह है राशनकार्ड पहचान पत्र आधारकार्ड भी इसी नाम से जारी किया हुआ है इसलिए वास्तविक नाम सुआ कंवर ही है आधार नम्बर 5594 0259 8903 है तथा पहचान पत्र आरजे/25/196/132153 है तथा राशन कार्ड सभी इसी नाम से है। प्रार्थीया की उम्र 65 वर्ष हो चुकी है पुराने समय में दस्तावेज देखकर नामान्तरकरण भरे नही जाते थे इसलिए हल्का पटवारी ग्राम मौहल्ले के लोगो को पूछकर नामान्तरकरण भर देते थे पर्दा प्रथा होने से महिलाऐ मुखर होकर बोलती नही थी इसलिए ग्राम वासियों की आधी अधूरी जानकारी लेकर पति के नामान्तरण मे सुआ कंवर के स्थान पर सदा कंवर इन्द्राज कर दिया। जबकि प्रार्थीया का नाम सुआ कंवर है। इस प्रकार सफेड छोटी के खसरा संख्या 71/5, 71/6, 71/3 प्रार्थी का नाम सदा कंवर इन्द्राज है जो गलत है प्रार्थीया का नाम सुआ कंवर है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि सफेड छोटी के खसरा नं. 71/5, 71/6, 71/3 में सदा कंवर के स्थान पर सुआ कंवर पत्नी जगदीशसिंह इन्द्राज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्ट्रर की गई। अपीलार्थी ने दस्तावेजी जमाबन्दी संवत 2076–2076 ग्राम सफेडछोटी के ख.स. 71/5, 71/6, 71/3 की प्रति, आधार कार्ड, पहचान पत्र की छायाप्रति एवं ग्राम पंचायत सफेडबडी का प्रमाण पत्र जिसमें सदाकंवर व सुआकंवर दोनो एक ही महिला के नाम होने बाबत प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मकराना द्वारा पत्रांक 850 दिनांक 17.03.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि सदाकंवर एवं सुआकंवर एक ही औरत है प्रार्थी का सही नाम सुआकंवर है प्रार्थी ने दौराने मौका रिपोर्ट तैयार करते समय शपथ पत्र एवं पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिनमें भी प्रार्थी का नाम सुआकंवर पत्नि जगदीशसिंह है। अतः प्रकरण में सफेडछोटी के खसरा नं. 71/5, 71/6, 71/3 में सदाकंवर पत्नि जगदीशसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में कोई राजहित नही होने बाबत पेश की गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का आधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया। तहसीलदार मकराना द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम सफेडछोटी के खसरा संख्या 71/5, 71/6, 71/3 में सदाकंवर पत्नि

Scanned with CamScanner

जगदीशसिंह जाति राजपूत के स्थान पर सुआकंवर पत्नी जगदीशसिंह जाति राजपूत दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम सफेडछोटी के खसरा संख्या 71/5, 71/6, 71/3 में अपीलार्थी का नाम सदाकंवर पत्नि जगदीशसिंह जाति राजपूत के स्थान पर सुआकंवर पत्नी जगदीशसिंह जाति राजपूत अंकित किया जाता है। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया। 30/11/19

उपखण्ड अधिकारी

मकराना

उपखण्ड अधिकारी

मकराना

Scanned with CamScanner